संख्या-10/2022 /आई/178180/2022/फा0नं0-10-19099/32/2022-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2022

विषय- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-3-1155/दस-2/81, दिनांक 06 अगस्त,1981, शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81ट0सी0, दिनांक 12 नवम्बर, 1997 एवं शासनादेश संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016/308/97, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 निर्गत किये गये हैं।

2- उपरोक्त शासनादेशों में मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के सम्बन्ध में आय के मानदण्ड का उल्लेख नहीं है।

3- सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/17/2019-पी एंड पी डब्ल्यू (ई), दिनांक 08 फरवरी, 2021 के प्रस्तर-3, 4 एवं 6 में दी गयी व्यवस्था निम्नवत् है:-

"3- उक्त के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का मानसिक या शरीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चा/सहोदर, जीनवपर्यन्त कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि नि:शक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, जैसा कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित है। यह माना जाएगा कि ऐसा बच्चा अपनी जीविका उपार्जन नहीं करता है, यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर, साधारण दर पर देय कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- तदनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ऐसा बच्चा/सहोदर, जो मानसिक या शरीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है, जीवनपर्यन्त कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा, यदि वह अन्यों के साथ निम्न शर्तों को पूरा करता है:-

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(ii) कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से निःशक्त बच्चे की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य कुटुंब पेंशन (अर्थात् मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत) और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

6- ऐसे मामलों में, जहां पूर्व आय मानदंड को पूरा न करने के कारण, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त किसी बच्चे/सहोदर को वर्तमान में कुटुंब पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसे बच्चे/सहोदर को कुटुंब पेंशन दी जा सकती है, यदि वह उपरोक्त आय मानदंड को पूरा करता है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु के समय कुटुंब पेंशन करने की अन्य शर्तों को भी पूरा करता है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से देय होगा और सरकारी कर्मचारी/ पेशनभोगी/ पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।"

4- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन दिनांक 08 फरवरी, 2021 में दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मानसिक या शरीरिक निःशक्तता से ग्रस्त संतान जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र होगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, जैसा कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित है। यह माना जाएगा कि ऐसी संतान अपनी जीविका उपार्जन नहीं करता/करती है, यदि पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर, साधारण दर पर देय पारिवारिक पेंशन और उस पर स्वीकार्य संहगाई राहत से कम है।

तदनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ऐसी संतान, जो मानसिक या शरीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है, जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र होगा/होगी, यदि वह अन्यों के साथ निम्न शर्तों को पूरा करता/करती है:-

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(ii) पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से निःशक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन (अर्थात् मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत) और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

ऐसे मामलों में, जहां पूर्व आय मानदंड को पूरा न करने के कारण, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त किसी संतान को वर्तमान में पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसी संतान को

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है, यदि वह उपरोक्त आय मानदंड को पूरा करता है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पूर्व पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के समय पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अन्य शर्तों को भी पूरा करता है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से देय होगा और सरकारी कर्मचारी/पेशनभोगी/पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

5- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थाएं/शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।